

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना-कुचामन  
पीठासीन अधिकारी-श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या- 52/2024

जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/151

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
रामलाल जाट, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद कार्यालय, डीडवाना-कुचामन।		श्री कानाराम पुत्र श्री रतनलाल जाति प्रजापत निवासी जूसरी मकराना मैसर्स मां श्रीयादे मिष्ठान भण्डार बूडसू

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपटित  
द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में  
जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत।

उपस्थित:-


1. श्री रामलाल जाट प्रवर्तन निरीक्षक प्रार्थी की ओर से
2. श्री रमेश कुमार ढाका वकील अप्रार्थी की ओर से

—:आदेश:—

दिनांक: 19.11.2024

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद कार्यालय डीडवाना-कुचामन द्वारा अप्रार्थीगण के  
विरुद्ध धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र निम्न  
प्रकार से प्रस्तुत है:-

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1)  
खावि/एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 की पालना में घरेलू गैस के अवैध गैस  
के अवैध भण्डारण/व्यापार/दुरुपयोग के विरुद्ध अभियान के तहत दिनांक 25.09.  
2024 को श्री शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक व श्री ओमेन्द्र कुमार प्रवर्तन निरीक्षक  
द्वारा तहसील मकराना के बूडसू ग्राम में स्थित मैसर्स मां श्रीयादे मिष्ठान भण्डार पर  
आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। मौके पर श्री कानाराम पुत्र श्री रतनलाल जाति  
प्रजापत निवासी जूसरी उपस्थित मिले, जिन्होंने दुकान का निरीक्षण करवाया। मौके  
पर दुकान में 01 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर व्यवसायिक दुरुपयोग/भण्डारण किया  
हुआ पाया गया। श्री कानाराम प्रजापत से घरेलू गैस के भण्डारण एवं विक्रय से  
सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे में पूछताछ करने पर इनके  
पास घरेलू गैस के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व  
अनुज्ञापत्र नहीं होना अपने बयानों में स्वीकार किया। श्री कानाराम द्वारा किसी प्रकार  
के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित/दुरुपयोग किये  
गये 01 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त  
सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है:-

  
जिला कलक्टर  
डीडवाना-कुचामन



क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	गैस वजन
1.	इण्डेन	227401	3.7 किग्रा

उपरोक्त 01 घरेलू रसोई गैस को मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स कुचामन गैस सर्विस कुचामन के प्रतिनिधि श्री महेन्द्रसिंह की सुपुर्दगी में दिय गये।


इस प्रकार श्री कानाराम प्रजापत का यह कृत्य लिक्वीफाइड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, - 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लंघन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 01 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, सम्पहरण (confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से वकील श्री रमेश कुमार ढाका ने वकालतनामा व जवाब पेश किया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब में निवेदन किया कि अप्रार्थी श्री माँ यादे मिष्ठान बुडसु पर चाय बनाने का कार्य करता है तथा उक्त दुकान पर गैस ऐजेन्सी से गैस भरवाने हेतु अपने घर से गैस सिलेण्डर लाकर रखा हुआ था। उसी दरम्यान प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय डीडवाना-कुचामन की टीम ने यह कहते हुए कि यह सिलेण्डर व्यवसायिक के रूप में काम में लिया जा रहा है ऐसा कहते हुए मेरे उक्त गैस सिलेण्डर को जप्त कर लिया। जबकि मेरा उक्त गैस सिलेण्डर साईड में पडा हुआ था जिसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जा रहा था। अतः श्रीमान से निवेदन है कि नरमी का रुख अपनाते हुए उक्त प्रकरण को निस्तारित किया जाने का आदेश फरमावें।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि श्री माँ यादे मिष्ठान भण्डार बुडसु द्वारा घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग किया जाना पाया गया। श्री कानाराम के पास जांच के समय किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं पाए गए व कानाराम ने आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं करने पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये। जब्त किये गये सिलेण्डर मैसर्स कुचामन गैस सर्विस गुचामन के प्रतिनिधि श्री महेन्द्रसिंह को प्रकरण में निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किये गये। अतः प्रकरण में जब्तसुदा घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत सम्पहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

बहस के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर पाए गए। जांच

  
जिला कलक्टर  
डीडवाना-कुचामन




के समय श्री कानाराम के पास किसी भी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग व्यापारिक उपयोग में किया जा रहा था। दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किए जाने पर घरेलू गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए जप्त सरकार लिये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों के भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञापति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञापति रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का समपहरण (Confiscation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना-कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 19.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



  
(पुखराज सेन, IAS)  
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट  
डीडवाना-कुचामन  
जिला कलेक्टर  
डीडवाना-कुचामन